अत्यावश्यक / प्राथमिकता
संख्या– / XX(2)–223 / कारा0 / 2003

प्रेषक,

एस0के0दास,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक कारागार,
उत्तरांचल, देहरादून।

गृह अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक: 12 :अगस्त: 2004.

विषय:– **स्वतंत्रता दिवस, 2004 के शुभ अवसर पर उत्तरांचल के न्यायालयों द्वारा दण्डित सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई / परिहार के सम्बन्ध में।**

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय भारतीय संविधान के अनुच्छेद–161 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये स्वतंत्रता दिवस, 2004 (15 अगस्त, 2004) के उपलक्ष में उत्तरांचल में स्थित न्यायालयों द्वारा दण्डित ऐसे सिद्धदोष बन्दियों को जो उत्तरांचल तथा अन्य प्रदेशों के कारागारों में सजा भोग रहे हैं और उस जेल में उनका आचरण "अच्छा" हो तथा जिनकी समयपूर्व मुक्ति हेतु उत्तरांचल सरकार सक्षम हो, को निम्न प्रकार से समयपूर्व मुक्ति की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

- ऐसे सिद्धदोष बन्दी जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस, 2004 तक न्यूनतम 14 वर्ष अपरिहार एवं 19 वर्ष सपरिहार सजा भोग ली हो।
- 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे सिद्धदोष बन्दी जिन्हौंने स्वतंत्रता दिवस, 2004 तक न्यूनतम 7 वर्ष अपरिहार सजा भोग ली हो।
- 55 वर्ष या उससे अधिक आयु की ऐसी महिला सिद्धदोष बन्दी जिन्होनें न्यूनतम 7 वर्ष अपरिहार सजा दिनांक 15.08.2004 तक भोग ली हो।
- सीमित अवधि के लिये दंण्डित ऐसे 65 वर्षीय या उससे अधिक आयु के सिद्धदोष पुरूष बन्दी, जिन्होनें अपनी सजा का 1/3 अपरिहार अथवा 05 वर्ष अपरिहार सजा, इनमें से जो भी कम हो, भोग ली हो।
- सीमित अवधि के लिये दण्डित ऐसे 60 वर्षीय या उससे अधिक आयु की सिद्धदोष महिला बन्दी, जिन्होनें अपनी सजा का 1/3 अपरिहार अथवा 05 वर्ष अपरिहार सजा, इनमें से जो भी कम हो, भोग ली हो।
- ऐसे आजीवन कारावासी सिद्धदोष बन्दी जो पूर्णरूप से अन्धे तथा ऐसे विकलांग सिद्धदोष आजीवन कारावासी बन्दी जिनकी एक टांग कटी हो या कार्य करने के लिये पूरी तरह से अयोग्य/अक्षम हो गये हों और जिन्होंने 15 अगस्त, 2004 को 02 वर्ष की अपरिहार सजा भोग ली हो। सीमित अवधि की सजा के दण्ड से दण्डित उपरोक्तानुसार वे अन्धे व विकलांग बन्दी ही मुक्ति के पात्र होगें, जिन्होंने अपनी दण्डावधि की 1/4 अपरिहार अथवा 01 वर्ष अपरिहार सजा जो भी कम हो, 15 अगस्त, 2004 तक भोग ली हो, बशर्ते कि सम्बन्धितजनपद के मेडिकल बोर्ड द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया गया हो।

2– इन आदेशों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश भी दिये जाते हैं:–

- जो बन्दी उपरोक्त प्रकार से मुक्त होने हैं, उनकी मुक्ति किसी अवधि के लिये रोके अथवा स्थगित किये जाने के जो आदेश इस शासनादेश के पूर्व जारी हुये हों, वह अब उनकी मुक्ति में बाधक नहीं होगें।
- 25 वर्षीय सपरिहार राजा के आधार पर समयपूर्व मुक्ति के मामलों में धारा–433 "क" से आच्छादित बन्दियों को न्यूनतम 14 वर्ष की अपरिहार राजा भोगना आवश्यक होगा।
- यदि किसी बन्दी की रिहाई के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई भ्रम हो तो उसको मुक्त करने से पूर्व शासन के आदेश प्राप्त कर लिये जायं।
- जो बन्दी पैरोल/गृह अवकाश पर हों, यदि स्वीकृत अवधि के अन्तर्गत मुक्ति के पात्र हैं, उन्हें 15 अगस्त, 2004 के पश्चात करागार में आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं होगी और ऐसे बन्दी 15 अगस्त, 2004 से मुक्त मान लिये जायेगें, बशर्ते कि बन्दी द्वारा कारागार अधीक्षक के समक्ष प्रस्तर–2 के बिन्दु–5 में की गयी व्यवस्था के अनुरूप रूपये 5,000/– (रूपये पॉच हजार मात्र) से अनाधिक धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत कर दिया जायं।
- उपरोक्त बन्दियों को इस शर्त पर मुक्त किया जायेगा कि वह मुक्त किये जाने के पूर्व शान्ति बनाये रखने के लिये सम्बन्धित कारागार अधीक्षक के समक्ष रू0 5,000/– (रूपये पॉच हजार मात्र) से अनाधिक धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करें। इस सम्बन्ध में सूचना बन्दी के गृह जनपद के जिलाधिकारी को दी जाय।
- महानिरीक्षक, कारागार यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक दशा में परीक्षणोपरान्त केवल पात्र बन्दी ही मुक्त किये जायें तथा लाभान्वित बन्दियों को 15 अगस्त, 2004 को अवमुक्त कर दिया जाय।

3– ऐसे बन्दी मुक्ति के पात्र नहीं होंगे:–

(क) जो दिनांक 15 अगस्त, 2004 को मा0 न्यायालय द्वारा स्वीकृत जमानत पर जेल से बाहर हों।

(ख) जो बन्दी विदेश के निवासी हों, किसी बन्दी की नागरिकता के सम्बन्ध में सन्देह होने की दशा में उसकी मुक्ति के पूर्व सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक से स्थिति की पुष्टि करा लेना आवश्यक होगा।

(ग) सैनिक अदालतों द्वारा दण्डित बन्दी।

(घ) विचाराधीन बन्दी/नजरबन्द बन्दी।

(ड.) फारनर्स अथवा पासपोर्ट ऐक्ट में अधीन दण्डित बन्दी।

(च) आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट 1967 की धारा 3 से 10 के अन्तर्गत दण्डित बन्दी।

(छ) किमिनल लॉ एमेन्डमेन्ट ऐक्ट, की धारा 2 व 3 के अन्तर्गत दण्डित बन्दी तथा आई0पी0सी0 की धारा 121 से 131 में दण्डित बन्दी।

(ज) प्रिवेन्शन ऑफ करप्शन ऐक्ट, 1947 एवं 1988 जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ है, के अन्तर्गत दण्डित बन्दी अथवा भारतीय दण्ड विधान की धारा 167,170,171,181,186,191,192,193,194,195,197, 210, 216ए, 216बी एवं 219 के अधीन दण्डित बन्दी।

(झ) सप्रेशन ऑफ इम्मॉरल ट्रेफिक इन वूमेन ऐक्ट, 1956 के अन्तर्गत बन्दी।
(य) महिलाओं के शील भंग करने के लिये बल प्रयोग के अपराध में दण्डित बन्दी।
(र) एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट के अन्तर्गत दण्डित बन्दी।
(ल) जहर खुरानी के अपराध में दण्डित बन्दी।

4– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत परिहार की गणना करने के पश्चात सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई की जाय।

5– इन आदेशों की प्राप्ति रडियोग्राम द्वारा तुरन्त स्वीकार की जाय तथा मुक्त किये गये बन्दियों की सूची तत्काल शासन को प्रेषित की जाय।

6– महानिरीक्षक, कारागार यह सुनिश्चित करेगें कि केवल पात्र बन्दी ही मुक्त किये जायें।

7– उपरोक्त परिहार जेल नियमों के अन्तर्गत प्रदत्त परिहार व्यवस्था से अतिरिक्त देय होगी एवं परिहार की सीमा जो सजा के एक तिहाई की है, से अतिरिक्त देय होगी, गणना एवं लाभ के अनुमन्य होगी।

भवदीय,

एस0के0दास
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1286/ XX(2)–223/कारा0/2003 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रान्तों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव।
2. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तरांचल शासन।
5. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, उत्तरांचल शासन।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल, देहरादून।
7. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरांचल।
8. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तरांचल।
9. वरिष्ठ अधीक्षक, सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज, उधमसिंहनगर।
10. समस्त अधीक्षक, जिला कारागार/उपकारागार, उत्तरांचल।
11. रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
12. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तरांचल।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दयाल सिंह नाथ)
अपर सचिव।